भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-2309**
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

**मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए फेशियल रिकॉगनिशन**

**†2309. श्री गौरव गोगोई:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मध्याह्न भोजन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के सत्यापन के लिए फेशियल रिकॉगनिशन को अनिवार्य कर दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या स्कूल के स्टाफ द्वारा इस प्रणाली के कारण बार-बार तकनीकी गड़बड़ियाँ, नेटवर्क संबंधी समस्याएँ और सेवा प्रदायगी में देरी सहित प्रशासनिक बोझ और कठिनाइयां बढ़ने की शिकायतें रिपोर्ट की गई हैं;
(ग) क्या सरकार ने इस आदेश को लागू करने से पहले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का कोई आकलन या उनके साथ परामर्श किया है;
(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि तकनीकी विफलताओं या संगत उपकरणों तक पहुँच की कमी के कारण वास्तविक लाभार्थी वंचित नहीं रहें;
(ङ) क्या सरकार समावेशिता सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर के कर्मचारियों पर बोझ कम करने के लिए सत्यापन के किसी वैकल्पिक या समानांतर तरीकों पर विचार कर रही है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) से (च): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना, जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता था, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाल वाटिका (कक्षा-1 से ठीक पहले) और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक बार में पका हुआ गरमागरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी

में लागू की गई प्रमुख अधिकार-आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10.35 लाख से ज़्यादा स्कूलों के लगभग 11 करोड़ बच्चों को कवर किया गया है।

इस योजना के लाभार्थी बाल वाटिका और सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा एक से आठ तक के सभी बच्चे हैं। सभी पात्र बच्चे स्कूल के सभी दिनों में एक बार गर्म पका हुआ पौष्टिक भोजन पाने के हकदार हैं। शिक्षा मंत्रालय ने भोजन प्राप्त करने के लिए चेहरे की पहचान अनिवार्य करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया है। तथापि, इस योजना के कार्यान्वयन की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है। योजना के दैनिक कवरेज की निगरानी के लिए स्वचालित निगरानी प्रणाली नामक एक मजबूत प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया है।

*****